

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना— 800001

**विस्तृत सूचना**

विज्ञापन संख्या—44/2014 (अरबी) के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया जाना है।

इस क्रम में विज्ञापन संख्या—44/2014 के उम्मीदवारों की अर्हता/अनर्हता की जाँच उनके आवेदनों के आधार पर किये जाने के क्रम में निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं:-

1. उक्त विज्ञापन के उम्मीदवारों की अर्हता/अनर्हता जाँच के क्रम में 07 अभ्यर्थियों, यथा; अनुक्रमांक— 44010015, 44010027, 44010096, 44010098, 44010183, 44010201 एवं 44010252 के द्वारा पीएच.डी. का दावा किया गया है, परन्तु इनके उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनकी उक्त डिग्री अरबी विषय में है।

उक्त आलोक में उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने—अपने विश्वविद्यालयों/संबंधित विभागों से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आयोग कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराये कि उनकी उक्त पीएच.डी. की डिग्री अरबी विषय में है। अन्यथा उन्हें पीएच.डी. उपाधि के लिए अधिभारित अंक नहीं दिया जाएगा एवं इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे।

2. इसी क्रम में 21 अभ्यर्थियों यथा अनुक्रमांक— 44010012, 44010013, 44010034, 44010082, 44010098, 44010101, 44010105, 44010110, 44010112, 44010121, 44010125, 44010153, 44010161, 44010171, 44010183, 44010188, 44010195, 44010198, 44010213, 44010230 एवं 44010257 के द्वारा अपने आवेदन पत्र की कंडिका—11 (1) शैक्षिक योग्यता के कॉलम में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उपाधियों का दावा नहीं किया गया है और ना ही कोई प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जन्म तिथि से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र/साक्ष्य आवेदन पत्र में संलग्न नहीं है।

उक्त आलोक में उक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय को ससमय उपलब्ध करा दें अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी एवं इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे।

उक्त वर्णित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाना है कि वांछित प्रमाण पत्र आयोग के Email: bpscpat-bih@nic.in/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजे कि उप सचिव, 5बी बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ, (बेली रोड), पटना को दिनांक—24.11.2021 की संध्या 5:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाए। दिनांक—24.11.2021 के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनकी अर्हता पर यथा समय समीक्षा पर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

साक्षात्कार की सूचना बाद में प्रकाशित की जायेगी।

संयुक्त सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

(Signature)